न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 95 / 2018

प्रार्थीगण :–

1. करणाराम पुत्र श्री किश्तुराराम
2. ताजाराम पुत्र श्री किश्तुराराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम श्री रामनगर खाबडा खुर्द तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भूराराम पुत्र श्री भोमाराम
2. रामूराम पुत्र श्री भोमाराम
3. पेमाराम पुत्र श्री पुत्र श्री भोमाराम
4. तीजो पत्नी श्री मोतीराम
5. तेजाराम पुत्र श्री मोतीराम
6. उमेदाराम पुत्र श्री मोतीराम
7. विडदाराम पुत्र श्री मोतीराम
8. भेराराम पुत्र श्री रामूराम
9. भगवानाराम पुत्र श्री रामूराम
10. विशनाराम पुत्र श्री राजूराम
11. लिच्छू पत्नी श्री भवरलाल
12. पपूराम पुत्र श्री गंगाराम
13. प्रतापराम पुत्र श्री गोकलराम
14. देदाराम पुत्र श्री गोकलराम
15. सिरदाराराम पुत्र श्री कालूराम
16. किशनाराम पुत्र श्री कालूराम
17. नगाराम पुत्र श्री कालूराम
18. माडू पत्नी श्री कालूराम
19. गोमदराम पुत्र श्री अलाराम
20. भैराराम पुत्र श्री रामूराम
21. भगवानाराम पुत्र श्री रामूराम
22. अणची पत्नी श्री रामूराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम श्री रामनगर खाबड़ा खुर्द तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर
23. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियाँ [illegible] राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 128 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:39 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थीगण की ओर से :– एक पक्षीय कार्यवाही

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 06.03.2019

[illegible] की ओर से उक्त आशय का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि [illegible] श्री रामनगर खाबड़ा खुर्द में स्थित खेत खसरा संख्या 3116 रकबा 03 [illegible] बिस्वा खसरा संख्या 3117 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की [illegible] व कब्जा काश्त शुदा आयी हुई है प्रार्थीगण की उक्त भूमि पश्चिम में उत्तरी [illegible] की तरफ अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि [illegible] संख्या 3106 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 3106/2 रकबा 13 बीघा [illegible] बिस्वा, खसरा संख्या 3106/4 रकबा 27 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 3106/3 [illegible] 40 बीघा 15 बिस्वा भूमि पूर्वी दिशा की ओर प्रार्थीगण संख्या 04 से 07 से की [illegible] की भूमि खसरा संख्या 3118 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा व दक्षिण दिशा की [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 08 से 22 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3115 रकबा 09 [illegible] भूमि आयी हुई है अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि की सीमाओं को आगे पीछे करके खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया इसलिए प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान बाबत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 23 के समक्ष पेश कर राजकोष में राशि नियमानुसार जमा करवाकर नियमानुसार हल्का पटवारी ने दिनांक 16.01.2011 को सीमाज्ञान करवाने बाबत मौके पर लेकर गया लेकिन प्रार्थीगण का अन्य खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया तब तक अप्रार्थीगण द्वारा कोई एतराज नही किया जैसे ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करने बाबत मौके पर गये उस समय अप्रार्थीगण ने मौके पर सीमाज्ञान नही करने दिया तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा करने हेतु आमदा हुए तब हल्का पटवारी ने उक्त विवाद बाबत सीमाज्ञान फर्द पर नोट अंकित किया प्रार्थीगण मौके पर अन्दाजिया तौर से सीमा पर काबिज काश्त है जब प्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमाओं पर खूंटे रोपने लगे तो अप्रार्थीगण ने बाधा व रूकावट पैदा की जिस पर प्रार्थीगण ने काफी समझाईश की लेकिन नही मान रहे है इसलिए यह पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया । अन्त में इस्तदुआ चाही कि तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम श्री रामनगर पटवार हल्का खाबड़ा खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा संख्या 3116 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 3117 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा भूमि का पुनः सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की पत्थरगढ़ी की जावे तथा वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस थाना ओसियाँ को आदेशित किया जावे कि समुचित पुलिस इमदाद दिलायी जावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त नोटिस लेने से इन्कार किया जिस पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध तामिल मानव [illegible] कार्यवाही अमल में लायी जाती है । बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रार्थीगण [illegible] द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोह[illegible] मौके पर सीमाज्ञान करने दे रहे है तथा प्रार्थीगण की सीमाज्ञान [illegible] । मौके पर लड़ाई झगड़ा करने हेतु आमदा हो रहे है अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पड़ोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान फर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पेश की गयी जिसमें भी स्पष्ट अंकन है कि भूमि पडौसी द्वारा सीमाज्ञान बाबत एतराज किया गया है इसलिए सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । इस प्रकार से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि हल्का पटवारी द्वारा की गयी पैमाईसी रिपोर्ट से बखूबी साबित हैं इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम श्री रामनगर पटवार हल्का खाबडा खुर्द की सरहद में स्थित खेत खसरा सख्या 3116 रकबा 03 बीघा 05 बिश्वा, खसरा सख्या 3117 रकबा 07 बीघा 01 बिश्वा भूमि का पुन सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की पत्थरगडडी की जाने बाबत तहसीलदार ओसियॉ को आदेश दिया जाता है तथा पुलिस थाना ओसियॉ को आदेशित किया जाता है कि उक्त पत्थरगडडी समुचित पुलिस ईमदाद दिलायी जावे ताकि मौके पर वक्त पत्थरगडडी शान्ति व्यवस्था बनी रहे । पालना हेतु तहसीलदार ओसियॉ को तहरीर जारी हो।

(रतनलाल रेगर)
उप खण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 05.03.2019 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उप खण्ड अधिकारी एवं
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियॉ

सहायक कलेक्टर ... ओसियॉ जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner